क्र.: भाविप्रा/निमु/भूप्र/परिपत्र/2007/263-269 9 जून, 2023
ई-ऑफिस कंप्यूटर क्र.163999 83-96

भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या 30

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, **पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** **दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र** **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** **कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई**	**विमानपत्तन निदेशक,** **चेन्नई / कोलकाता** **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,** **चेन्नई, कोलकाता**

विषय: एमआरओ और एफटीओ ऑपरेटरों को कार्ड दरों पर भूमि और बिल्ट-अप-हैंगर / स्थान का आवंटन।

महोदय,

यह दिनांक 1 अप्रैल 2021 के भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या 18 संदर्भ में, दिनांक 17 दिसंबर 2021परिपत्र संख्या 19, परिपत्र संख्या 27 दिनांक 12 अक्टूबर 2022 और परिपत्र संख्या 29 दिनांक 04 मई 2023 के विमानन संबंधी सेवाओं और गतिविधियों के लिए हवाई अड्डे पर भूमि और निर्मित क्षेत्रों के आवंटन के संबंध में है।

2. इसके अतिरिक्त, भाविप्रा बोर्ड ने 19 मई 2023 को आयोजित अपनी 214वीं बैठक में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया है:

I) भाविप्रा हवाई अड्डों पर एमआरओ/ एफटीओ स्थापित करने के लिए इच्छुक एजेंसियों को 25 वर्ष की अवधि के लिए कार्ड दर के आधार पर भूमि/स्थान का आवंटन, इसके अलावा एमआरओ/एफटीओ स्थापित करने के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार भूमि/स्थान का आवंटन: -

क. एमआरओ (स्वयं और तृतीय पक्ष) के लिए - आवंटन की तिथि पर लागू कार्ड दर के अनुसार लाइसेंस शुल्क और साइट/भूमि के अधिग्रहण की तिथि से देय है। प्रत्येक 03 वर्ष के बाद लाइसेंस शुल्क में 15% की वृद्धि होगी। स्वयं और तृतीय पक्ष एमआरओ सेवाओं के लिए कोई रॉयल्टी/रियायत शुल्क देय/लागू नहीं होगा।

ख. एफटीओ के लिए - लाइसेंस शुल्क जो कि (i) 15 लाख रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त वार्षिक फीस या (ii) आवंटन की तिथि पर लागू कार्ड दर में से अधिक है। लाइसेंस शुल्क साइट/भूमि के अधिग्रहण की तिथि से देय होगा और हर 3 वर्ष के बाद 15% की दर से बढ़ेगा। कोई रॉयल्टी/रियायत शुल्क देय/लागू नहीं होगा।

राजीव गांधी भवन | सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली – 110003 | दूरभाष : 24632950
Rajiv Gandhi Bhawan | Safdarjung Airport, New Delhi – 110003 | Phone: 24632950

II) बोर्ड ने कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन) को अध्यक्ष एवं सदस्य (योजना) द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार योजना एवं संचालन की तिथि के अनुमोदन के अधीन आवंटन करने के लिए अधिकृत किया है।

3. कृपया उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं पावती भेंजें। इसका व्यापक प्रचार किया जाना सुनिश्चित करें तथा एफटीओ/एमआरओ एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोधों को प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए निगमित मुख्यालय को भेजें।

भवदीय,

(वी.रामनाथन)
महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)

संलग्न: उपरोक्त पत्र में उल्लिखित परिपत्रों की प्रतिलिपियां।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी
2. सदस्य के निजी सचिव (प्रचालन) / योजना / एएनएस / मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. कार्यपालक निदेशक (वित्त) राजस्व / कार्यपालक निदेशक (वित्त)- आंतरिक लेखा / कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) / कार्यपालक निदेशक (अभियांत्रिकी) – प.क्षे/पू.क्षे/ कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)
4. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) : भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. लीज-एडमिन टीम (भूमि प्रबंधन) : आवश्यक कार्रवाई हेतु।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्र.: ई-103284/एवी.21012/03/2021-भूप्र दिनांक: 01 अप्रैल 2021

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी / पूर्वी / पश्चिमी
उत्तर-पूर्वी / दक्षिणी क्षेत्र,
दिल्ली / कोलकाता / मुंबई
गुवाहाटी / चेन्नई

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
चेन्नई / कोलकाता

भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या 18

विषय: रॉयल्टी भूमि लाइसेंस शुल्क आवंटन का स्थानप और रखरखाव, मरम्मत और समग्र मरम्मत (एमआरओ) सेवा प्रदाताओं के लिए नवीनीकरण- संशोधित नीति ।

महोदय,

भारत में एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, 25 फरवरी 2021 को आयोजित भाविप्रा बोर्ड की 199वीं बैठक में एक नीति पत्र रखा गया और एमआरओ सेवा प्रदाताओं (लाइन रखरखाव सहित) और विमान रखरखाव संगठनों (एएमओ) भाविप्रा हवाईअड्डों के संशोधित नीति टैरिफ के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 1 अप्रैल 2021 से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रभावी है।

क) **रियायत शुल्क**: रॉयल्टी सहित किसी भी रूप में, नए अनुबंधों में देय नहीं होगा। यह 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान अनुबंधों (एमआरओ प्रदाताओं) के संबंधित नवीनीकरण की तारीख से भी देय नहीं होगा ।

ख) **हवाई अड्डे की भूमि/स्थान का किराया**: वर्तमान अनुबंधों, अनुबंध के नवीकरण और नए अनुबंधों के अंतर्गत 1 अप्रैल से निम्नानुसार युक्तिसंगत माना जाएगा:

आवंटन/नवीनीकरण अनुबंध/वर्तमान मौजूदा अनुबंध की तिथि से वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 से आगे का अनुबंध	संबंधित भूमि/स्थान किराये का स्वामित्व विवरण
वर्ष 01 से 05	20%
वर्ष 06 से 10	30%
वर्ष 11 से 15	40%
वर्ष 16 से 20	60%
वर्ष 21 से 30	75%

क्रमशः...2/-

ग) **वृद्धि:** उपरोक्त आधार भूमि/स्थान किराये में प्रत्येक 3 वर्ष के ब्लॉक के अंत में 15% की वृद्धि की जाएगी, अर्थात 4वें, 7वें और 10वें वर्ष के आरंभ से की जाएगी।

घ) **अनुबंध का नवीनीकरण/मौजूदा अनुबंधों के तहत भूमि का आवंटन:**

i) वर्तमान एमआरओ सेवा प्रदाताओं/एएमओ के लिए जो चल रहे हैं उन अनुबंधों या मूल अनुबंधों के अंतर्गत अपने भुगतानों पर अद्यतन हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों के आलोक में दिए गए किसी भी विस्तार के बावजूद वित्त वर्ष 21 में कभी भी समाप्त हो सकते हैं, वर्तमान सुविधा पर पट्टे/लाइसेंस के नवीनीकरण पर उनके वर्तमान अनुबंध अवधि की तिथि या समाप्ति से विचार किया जाएगा। - ऊपर दिए गए तर्कसंगत भूमि स्थान किराया (पैरा 'ख' के अनुसार) निगमित मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम 30 वर्ष की अवधि तक प्रस्तावित होगा।

(ii) वर्तमान एमआरओ संगठनों के लिए जिनके पास बकाया राशि है या जो कानूनी कार्यवाही में हैं और अपने वर्तमान अनुबंध (जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है) को वापस लेने के इच्छुक हैं, मौजूदा सुविधा पर पट्टे/लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विवादों के निपटारे और बकाया राशि के निपटान के बाद ही विचार किया जाएगा, जो कि निगमित मुख्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से समयबद्ध तरीके से समझौता वार्ता के माध्यम से होगा। निगमित मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति के अधीन अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित नवीनीकरण अनुबंध के अनुसार तर्कसंगत भूमि/स्थान किराया भी देय होगा।

2. वर्तमान एमआरओ के मामले जो अपने अनुबंध को बढ़ाने के इच्छुक हैं और निपटान सलाहकार समिति फोरम के माध्यम से एकमुश्त निपटान के लिए विवादों/बकाया देय राशि के निपटान के लिए आगे आते हैं, उन्हें संकलित किया जाए और 30 अप्रैल 2021 तक निर्णय के लिए निगमित मुख्यालय को भेजा जाए।

3. एमआरओ गतिविधियों को शुरू में भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, बेगमपेट, जुहू, कोलकाता, दिल्ली और तिरुपति हवाई अड्डों से बढ़ावा दिया जाएगा। अन्य हवाई अड्डों की पहचान की जाएगी और समय-समय पर उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

4. जहां तक नई एमआरसी की स्थापना का संबंध है, आबंटन योजना आयोग द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर चिन्हित स्थलों के लिए बोलियों/ईओआई के माध्यम से किया जाएगा। चयन या एजेंसियों की कार्रवाई निगमित मुख्यालय स्तर पर होगी।

5. यह संशोधित दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और भाविप्रा हवाई अड्डों पर सेवाएं स्थापित करने के लिए भाविप्रा द्वारा अनुमोदित/जारी अन्य पिछले दिशानिर्देशों/निर्देशों, नीति का स्थान लेंगे।

क्रमश:...3/-

6. अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए तथा वर्तमान एमआरओ एजेंसियों को तदनुसार सूचित किया जाए। कृपया मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निगमित मुख्यालय को भेजी जाए।

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

(**अनिल कुमार नरूला**)
संयुक्त महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)

<u>प्रतिलिपि</u>:

1) अध्यक्ष, भाविप्रा
2) सदस्य (मा.सं./योजना/प्रचालन/वित्त/एएनएस)
3) कार्यपालक निदेशक (योजना/ वास्तुविद्) - 3 पैरा 3 के अनुसार एमआरओ के लिए स्थान निर्धारित करने के अनुरोध के साथ।
4) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)
5) कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) भाविप्रा की साईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
6) परिपत्र फाईल संख्या भाविप्रा/निमु/भूप्र/परिपत्र/2007

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्रमांक: ई-62429/एवी.21012/03/2021-भूप्र/ दिनांक: 17 दिसंबर, 2021

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी / पूर्वी / पश्चिमी,
उत्तर पूर्वी / दक्षिणी क्षेत्र,
दिल्ली / कोलकाता / मुंबई
गुवाहाटी / चेन्नई।

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
चेन्नई / कोलकाता।

भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या 19

विषय: रॉयल्टी का युक्तिकरण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा प्रदाताओं के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क, आवंटन और उसका नवीनीकरण - संशोधित नीति।

महोदय,

संदर्भ निगमित मुख्यालय के पत्र संख्या ई-103284/एवी.21012/03/2021-एलएम/ दिनांक 01 अप्रैल 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें व्यापार करने में आसानी और इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले हवाईअड्डा रॉयल्टी और अन्य शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में एमआरओ नीति का संचार किया गया है, जैसा कि एमओसीए ने अपने 1 जनवरी, 2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया और भाविप्रा बोर्ड ने 25 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में एजेंडा मद संख्या 199.9 के माध्यम से इसे मंजूरी दी। उक्त नीति के अनुसार 8 चिन्हित हवाईअड्डों अर्थात् भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद (बेगमपेट), जुहू, कोलकाता, दिल्ली और तिरुपति पर नए अनुबंधों के लिए ईओआई के माध्यम से 30 वर्षों की अवधि के लिए भूमि आवंटित की जानी थी। नीति के प्रावधान के अनुसार, प्राप्त अभिरुचियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा के आधार पर एजेंसियों की सूची बनाने के लिए भाविप्रा, डीजीसीए और एमओसीए की भागीदारी के साथ एक स्थायी समिति का गठन करना अपेक्षित था।

2. एमआरओ नीति को संप्रेषित करने वाला दिनांक 01 अप्रैल 2021 का यह पत्र निगमित मुख्यालय द्वारा दिनांक 7 जून, 2021 के ई-मेल द्वारा वापस ले लिया गया और सक्षम प्राधिकारी ने अगले आदेश तक दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के उपर्युक्त पत्र पर कोई कार्रवाई न करने की इच्छा व्यक्त की।

क्रमश:...2/-

3. भाविप्रा बोर्ड द्वारा 7 जुलाई, 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त मद संख्या 201.12 डी के अंतर्गत मुद्दे पर फिर से चर्चा की गई गया। इसके अतिरिक्त, भाव्रिपा बोर्ड ने 7 सितंबर, 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में कार्यवृत्त मद संख्या 202.20 के अंतर्गत एमओसीए के 1 सितंबर, 2021 के पत्र पर ध्यान दिया और एमओसीए/भारत सरकार के निर्देशानुसार नीति में बदलाव को मंजूरी दी।

4. एमआरओ पर अंतिम रूप से तैयार नीति निम्नलिखित है: -

I. जहाँ तक नई एमआरओ एजेंसियों की स्थापना का प्रश्न है, आवंटन विभिन्न हवाई अड्डों पर योजना/वास्तुकला स्थापत्य निदेशालय द्वारा चिन्हित स्थलों के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाएंगी। नई एजेंसियों के चयन की कार्रवाई निगमित मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।

II. व्यक्तिपरक मूल्यांकन मानदंड के साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) आमंत्रित करने के बजाय, भाविप्रा नए अनुबंधों के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता द्वारा उद्धृत लीज फीस बोली पैरामीटर होगी। उच्चतम लीज फीस उद्धृत करने वाली एजेंसी उस विशिष्ट पार्सल के लिए चयनित बोलीदाता होगी।

III. हैदराबाद (बेगमपेट), चेन्नई, चंडीगढ़ और भोपाल को एमआरओ व्यवसाय स्थापित करने/विस्तार करने के लिए पसंदीदा स्थान पाया गया है। इसलिए, शुरू में भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और हैदराबाद (बेगमपेट) के साथ-साथ उन स्थानों पर निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान एमआरओ अनुबंध 31 मार्च, 2022 तक समाप्त हो रहे हैं। तदनुसार, भोपाल, बेगमपेट (हैदराबाद), चंडीगढ़, चेन्नई और जुहू हवाई अड्डों पर डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के आधार पर रखरखाव, मरम्मत और संपूर्ण मरम्मत (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

IV. लाइन रखरखाव के लिए, सभी हवाई अड्डों के लिए एमआरओ निविदाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जहां प्रति एमआरओ लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ व्यवहार्यता है।

V. बोली में कोई फ्लोर प्राइस नहीं रखा जाना चाहिए। उच्चतम लीज़ शुल्क उद्धृत करने वाली एजेंसी उस विशिष्ट पार्सल के लिए चयनित बोलीदाता होगी।

VI. उद्धृत/स्वीकृत पट्टा शुल्क प्रत्येक तीसरे वर्ष के बाद 15% की दर से बढ़ाया जाएगा।

VII. निविदा में भागीदारी के गंभीर और उचित स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ईएमडी/बोली सुरक्षा की उचित राशि रखी जाएगी। इसलिए, एमआरओ के लिए आमंत्रित वर्तमान निविदाओं में, एक साइट के लिए देय बोली सुरक्षा 10.00 लाख रुपये रखी गई है। यदि बोलीदाता अतिरिक्त साइटों के लिए एमआरओ के लिए ईओआई में सफल होता है, तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त साइट के लिए 10.00 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।

क्रमश:...3/-

VIII. अनुमोदित नीति के अनुसार एमआरओ छूट की अवधि 30 वर्ष तक यथावत रखी जानी चाहिए।

IX. इन प्रावधानों के अंतर्गत भूमि/स्थान के आवंटन के लिए अनुबंध की अधिकतम अवधि, चाहे वह नया हो या नवीकरण, 30 वर्ष ही रहेगी। हालांकि, पट्टा समझौते में यह प्रावधान किया जाएगा कि यदि एमआरओ एजेंसी चूक जाती है या आवंटित भूमि/स्थान पर एमआरओ गतिविधियां करना बंद कर देती है, तो भाविप्रा द्वारा किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना पट्टा समाप्त कर दिया जाएगा।

X. नीति के अनुसार एमआरओ एजेंसियों के वर्तमान भूमि पट्टे/स्थान लाइसेंस को कम दरों पर नवीनीकृत करने के बजाय, यदि वर्तमान पट्टेदार/लाइसेंसधारी बोली में निर्दिष्ट नए नियमों और शर्तों के अनुसार परिसर का उपयोग जारी रखना चाहता है, तो उसे बोली में भाग लेना होगा, जिसमें चयन मानदंडों के संदर्भ में पहली रैंक वाली बोली से मेल खाने के लिए वर्तमान पट्टेदार/लाइसेंसधारी को "पहले अस्वीकार का अधिकार (आरओएफआर)" का प्रावधान होगा, इस शर्त पर कि उसकी बोली प्राप्त सबसे प्रतिस्पर्धी बोली के 15% की सीमा के भीतर हो।

5. यह संशोधित दिशानिर्देश बोर्ड की स्वीकृति की तारीख यानी 7 सितंबर, 2021 से प्रभावी होंगे और भाविप्रा हवाई अड्डों पर एमआरओ सेवाएं स्थापित करने के लिए भाविप्रा द्वारा अनुमोदित/जारी सभी अन्य पिछले दिशानिर्देशों/निर्देशों/नीति का स्थान लेंगे।

6. अनुरोध है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए तथा वर्तमान एमआरओ एजेंसियों को तदनुसार सूचित किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(ताजी इ. सी.)
महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)

<u>प्रतिलिपि</u>:

1) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)
2) कार्यपालक निदेशक (आईटी) - इसे भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3) परिपत्र फ़ाइल संख्या भाविप्रा/निमु/भूप्र/परिपत्र/2007

सं. एएआई/सीएचक्यू/एलएम/सीआईआर/विमानन संबंधी सेवाएं/2022/352-358 12 अक्टूबर, 2022
ई-ऑफिस कंप्यूटर नंबर 163999 175

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, **पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/उत्तर** **पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र** **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** **कोलकाता/मुंबई/गुवाहाटी/दिल्ली/चेन्नई**	**विमानपत्तन निदेशक** **चेन्नई / कोलकाता** **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** **चेन्नई कोलकाता**

भूमि प्रबंधन विभाग परिपत्र संख्या 27

विषय: विमानन संबंधी सेवाओं के लिए हवाई अड्डों के परिचालन क्षेत्र में भूमि, निर्मित स्थान का आवंटन।

महोदय,

भाविप्रा को एयरलाइन्स ऑपरेटर, ओएमसीएस, फ्लाइट सिमुलेटरों और अन्य एजेंसियों से हवाई अड्डों पर पार्किंग, आवास और स्व-रखरखाव के साथ-साथ अन्य विमानन प्रयोजनों के लिए हैंगर और भूमि के आवंटन/लाइसेंस के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस संबंध में, भाविप्रा बोर्ड ने 16.09.2022 को आयोजित अपनी 210वीं बैठक में निम्नानुसार अनुमोदन दिया है:-

1. बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित लागू किराया/लाइसेंस शुल्क दरों पर 15 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित विमानन संबंधी सेवाओं और गतिविधियों के लिए हवाई अड्डों पर परिचालन क्षेत्र में भूमि और निर्मित क्षेत्रों का आवंटन करना:
   - i. एयरलाइन का संचालन जिसमें निजी, निर्धारित और गैर-अनुसूचित शामिल हैं।
   - jj. विमान में ईंधन भरने की व्यवस्था के लिए तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी)।
   - iii. फ्लाइट सिमुलेटर और ड्रोन।
   - iv. कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं।
   - V. नियामक एजेंसियों की आवश्यकता।
   - Vi. एमआरओ, ग्राउंड हैंडलिंग, ओएमसी आदि के लिए पोर्टा केबिन।
   - Vii. रक्षा प्राधिकारियों की आवश्यकता।
   - viii. इस प्रकार की वैमानिकी एवं गैर-वैमानिकी अन्य सेवाएं।
   - ix. उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ)।
   - X. रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियाँ।

क्रमश:...2/-

इसके अतिरिक्त, जहां भूमि/निर्मित स्थान पहले ही निविदा के आधार पर आवंटित किया जा चुका है, वहां निविदा की शर्तें उन आवंटनों पर लागू होंगी ।

II. निविदा के बिना कार्ड दरों पर एमआरओ और एफटीओ के लिए पट्टे पर भूमि/स्थान के आवंटन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करना। तदनुसार, एफटीओ और एमआरओ के लिए नया आवंटन और नवीनीकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रभावी होगा ।

III. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के मौजूदा भूमि लाइसेंस की समाप्ति पर, 01.04.2022 से या समाप्ति की तारीख से जो भी बाद में हो, नए आवंटन के रूप में माना जाएगा, चाहे वह परिचालन क्षेत्र या गैर-परिचालन क्षेत्र में हो, लागू किराये की दरों पर 15 साल की अवधि के लिए ।

IV. कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन) को अध्यक्ष/सदस्य (योजना) द्वारा अनुमोदित हवाई अड्डे के मास्टर प्लान के अनुसार नए आवंटन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. कृपया प्राप्ति की सूचना दें और उपरोक्त पैरा 21 (i) से (viii) के अनुसार बोर्ड अनुमोदन का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. तथापि, पैरा 21 (ix) एवं (x) (अर्थात एफटीओ एवं एमआरओ के संबंध में) के संबंध में, निगमित मुख्यालय इस मुद्दे को अलग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उठा रहा है।

भवदीय,

(वी. रामनाथन)
महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)

<u>प्रतिलिपि</u>:

1. कार्यपालक निदेशक (वित्त)-राजस्व / कार्यपालक निदेशक (वित्त)-आंतरिक लेखा परीक्षा / कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) / कार्यपालक निदेशक (इंजीनियरिंग)- प.क्षे/उ.क्षे/ कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)
2. अध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी
3. सदस्य (प्रचालन) / (योजना) / (वित्त) / (एएनएस) / मु.स.अ. के निजी सचिव
4. महाप्रबंधक (आईटी) को इस अनुरोध के साथ कि इसे एएआइ वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।
5. भाविप्रा/भूमि प्रबंधन/लीज-एडमिन टीम: कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए संपर्क करें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

नं. ई-62429/एवी21012/03/2021-भूप्र//93-199 दिनांक 4 मई, 2023

ईओ संख्या -157620

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उत्तरी / पूर्वी / पश्चिमी उत्तर पूर्वी / दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली / कोलकाता / मुंबई गुवाहाटी / चेन्नई	**विमानपत्तन निदेशक**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई / कोलकाता

भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या 29

विषय: रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए समझौतों का नवीनीकरण और उसके नियम व शर्तें

महोदय,

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, व्यापार को आसान बनाने और इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले हवाई अड्डा रॉयल्टी और अन्य शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में एमआरओ नीति को अद्यतन करने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक एमआरओ और विमान घटकों के निर्माताओं को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

2. यह देखा गया है कि स्टेशन स्तर पर कुछ अधिकारी उपरोक्त क्षेत्र के संबंध में नवीनतम घटनाक्रम से अवगत नहीं हैं और वे पुराने नियमों व शर्तों पर समझौतों का नवीनीकरण कर रहे हैं, जो एमआरओ पर भाविप्रा की संशोधित नीति के अनुरूप नहीं हैं।

3. अब से, सभी क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशकों और हवाई अड्डा निदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि नई एमआरओ नीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए किसी भी नवीकरण को प्रस्ताव और उसके नियमों और शर्तों के अनुमोदन के लिए निगमित मुख्यालय भेजा जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(ताजी ई. सी.)
महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)

प्रतिलिपि :

1) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन)
2) कार्यपालक निदेशक (आईटी) -- इस अनुरोध के साथ कि इसे भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
3) परिपत्र फाइल क्र. भाविप्रा/निगमित मुख्यालय/भूमि प्रबंधन/परिपत्र/2007